न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्याः 12/2023 दायर दिनाँक 15.06.2023

प्रार्थी		अप्रार्थी
1. जुगलकिशोर पुत्र दुर्गादत्त जाति माली निवासी टीबावास, डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम	1. धापादेवी पत्नी कालूराम 2. नेमीचंन्द पुत्र कालूराम 3. चित्रा सैनी पत्नी नरेश कुमार 4. नरेश कुमार पुत्र दुर्गादत्त 5. सुनिता पुत्री रामचन्द्र 6. सरोज देवी पत्नी जुगलकिशोर समस्त जाति माली निवासीगण टीबावास, डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 7. तहसीलदार डीडवाना

प्रार्थना—पत्र
अन्तर्गत धारा—251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी वकील प्रार्थी।
2. श्री चेनाराम थोरी वकील अप्रार्थी 1 व 2

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 30.06.2025

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 296 रकबा 1.1000 हैक्टे0 मौजा पठानों का बाढ पटवार हल्का सिंघाना में अवस्थित है जो की हमारी खातेदारी सुदा खेत है। उक्त खेत खसरा नम्बर 296 में वर्तमान में प्रार्थी के खेत तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 297 रकबा 1.3200 है. में से नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

प्रकरण को उक्त वर्णित नम्बर से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन की तामिली पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री चेनाराम थोरी ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री चेनाराम थोरी ने जवाब पेश कर अपने जवाब में बताया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जो नजरी नक्शा पेश किया है उक्त नक्शा के अनुसार प्रार्थी ने अपने खातेदारी सुदा खेत में अप्रार्थी के खेत से रास्ते की मांग की है। प्रार्थी ने अपने नजरी नक्शा में खेत खसरा नम्बर 296 में आने जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 16:00:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

हेतु खसरा नम्बर 297 के बीच में रास्ते की मांग की है। धारा 251ए की यह मंशा नहीं है कि किसी काश्तकार के खेत के टुकडे करते हुए रास्ता की मांग की जावे या रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। धारा 251ए की मंशा यह है कि रास्ता उपलब्ध करवाने के लिए किसी काश्तकार के खेत का टुकडों में विभाजन नहीं होना चाहिए तथा उस स्थान से रास्ता दिया जाना चाहिये, जहां से कम दूरी अवस्थित हो। जहां से प्रार्थी ने रास्ता चाहा है वह स्थान अप्रार्थी के खेत को दो भागो में बांटता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक – रीडर/23/383 दिनांक 27.07.2023 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति दर्ज किये जाने पर पुनः रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार डीडवाना से पुनः जरिये पत्रांक–राजस्व/2024/564 दिनांक 08.11.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 296 रकबा 1.10 है. सरहद पठानों का बाढ में कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी को खेत में आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 296 सरहद पठानों का बाढ में सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 297 सरहद पठानों का बाढ में से लगता है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट से न्यायालय सहमत है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 296 में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 564 दिनांक 08.11.2024 में दर्शित भूमि अप्रार्थी के खेत खसरा सं. 297 पर मार्क ए से बी में प्रस्तावित रास्ता वाके सरहद पठानों का बाढ में से रास्ता की भूमि घोषित की जाती है तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 564 दिनांक 08.11.2024 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 30.06.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:00:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner